भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4105
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीपीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

4105. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख महानगरों में स्थित सरकारी कॉलोनियों में सीपीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को कोई आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): जी, हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कोलकाता के लिए:

- जीपीआरए साल्ट लेक: केबी ब्लॉक 330 वर्ग मीटर – सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की गई। स्थानीय

पुलिस से कई बार अनधिकृत अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- जीपीआरए प्रेस, संतरागाछी - 6000 वर्ग मीटर – भारत सरकार मुद्रणालय, संतरागांची, हावड़ा द्वारा दिनांक 28.02.2019 को भूमि जैसी है जहां है के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई थी। सीपीडब्ल्यूडी ने इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को कई पत्र लिखे हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मुंबई के लिए:

- मुंबई में हैदराबाद एस्टेट परिसर में झुग्गीवासियों (आशानगर) द्वारा अतिक्रमण।
- जब मलाड के मालवानी में भूमि को नमक विभाग द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया गया तब इस भूमि पर अतिक्रमण था।
- इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को पत्र लिखे गए।
- अतिक्रमणकर्ता संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश के खिलाफ बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट गए और अदालत के निर्णय के अनुसार कार्रवाई जारी है।

दिल्ली के लिए:

- श्रीनिवासपुरी स्थित पुरानी सरकारी कॉलोनी में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पुनर्विकसित की जा रही भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) की भूमि पर अवैध अतिक्रमण था। इन अतिक्रमणों को दूर करने के लिए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अदालती मुकदमें चलाए गए हैं।
- अलीगंज, जोर बाग – कुल 11,942 एकड़ भूमि में से 2.61 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है (की गई कार्रवाई - पुलिस सहायता लेने के बाद दिनांक 03.01.2023 और दिनांक 04.01.2023 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि, बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से एक नोटिस प्राप्त हुआ और अतिक्रमणकारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका संख्या डब्ल्यू पी(सी) संख्या 1119/2023 दायर की। इसलिए मामला न्यायाधीन है।

- डेयरी नंबर 95, सी-31 ब्लॉक काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के नाम से जाना जाने वाला जेजे क्लस्टर अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत है। (की गई कार्रवाई - यह मामला दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के विचाराधीन है।
- सेक्टर-12, आर. के. पुरम, सेवा केंद्र संख्या 324 पर अवैध अतिक्रमण है। (की गई कार्रवाई - सेवा केंद्र - 324, सेक्टर-12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली के संबंधित आबंटियों को नोटिस जारी किया गया है)

इंदौर के लिए:

- विभिन्न माननीय न्यायालयों में 3 मामले विचाराधीन हैं।

पटना के लिए:

- वर्ष 2017 से अर्थात सीपीडब्ल्यूडी, जमशेदपुर द्वारा डीजीएसएंडडी से इन परिसंपत्तियों को अपने अधीन लेने से पहले से ही 8 टाइप-I क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे के अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा डीजीएसएंडडी से इन परिसंपत्तियों को अपने अधीन लेने से पहले अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भवन/अस्थायी संरचनाएं भी बनाई गई हैं।
- वर्ष 2022 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखली नोटिस जारी किया गया था। चूंकि, किसी भी कब्जाधारी ने परिसर खाली नहीं किया, इसलिए उप-मंडल अधिकारी, धालभूम, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) से (ङ): जी, हां। माननीय जिला न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली ने दिनांक 28.03.2023 के आदेश के अंतर्गत श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में अतिक्रमण हटाने पर लगाया गया रोक आदेश हटा दिया गया है। तदनुसार, पुरानी श्रीनिवासपुरी कॉलोनी की चारदीवारी के पास लगभग 4697 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा हटा दिया गया है।

*****